न्यायालय :— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आगर—मालवा (म.प्र.)

Case No. BA/159/2026
Filing No. BA/1927/2026
CNR No.MP70010022772026
Registration Date -29-07-2026

कमल पिता मेहरबानसिंह उम्र—30 वर्ष,
निवासी—ग्राम घानीखेडी थाना कानड
जिला आगर मालवा म.प्र.

—आवेदक / आरोपी

—: बनाम :—

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना कानड
जिला आगर—मालवा (म.प्र.) **———अभियोजन / राज्य**

———————————————————————————————

30-07-2026 जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, आगर के न्यायालय से अंतरण पर मय केस डायरी सहित सुनवाई हेतु प्राप्त।

आवेदक / आरोपी कमल की ओर से श्री वैभव भटनागर अधिवक्ता उपस्थित।

अभियोजन / राज्य द्वारा श्री अशोक गवली, अपर लोक अभियोजक।

01	जमानत आवेदन पत्र क्रमांक	159 / 2026
02	जमानत आवेदन संस्थित	29.07.2026
04	घटना दिनांक	17.07.2026
05	अपराध क्रमांक	136 / 2026
06	धाराएं	धारा—115(2), 119(1), 126(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस
07	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की दिनांक	17.07.2026
08	आरक्षी केंद्र	पुलिस थाना कानड
09	गिरफतारी दिनांक	17.07.2026
10	न्यायिक अभिरक्षा	दिनांक 18.07.2026 से वर्तमान तक

11	अनुसंधान की स्थिति	अपूर्ण
12	अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	—
13	अभियोग पत्र क्रमांक	—
14	प्रकरण क्रमांक	—

अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड

क्र	एफ.आई.आर क्रमांक	धारा	पुलिस थाना	जिला	विचाराधीन / दोषी / दोषमुक्त
1	119 / 11	457, 380 भा.दं.सं	कानड	आगर	निर्णित
2	51 / 12	392 भा.दं.सं.	कानड	आगर	—
3	124 / 13	452, 294, 506, 34 भादंसं. व 3(1)(10) एस.सी.एस.टी. एक्ट	कानड	आगर	—
4	205 / 13	327, 336, 294, 506, 34	कानड	आगर	—
5	124 / 13	341, 323, 294, 506	कानड	आगर	—
6	202 / 13	327, 341, 294, 506, 34	माकडोन	उज्जैन	—
7	335 / 13	307 भा.दं.सं.	माकडोन	उज्जैन	—
8	221 / 20	323, 294, 327, 329, 341, 506, 34	कानड	आगर	—
9	188 / 23	25(1)(बी)आर्म्स ए.	कानड	आगर	—
10	54 / 18	323, 279, 337, 34	कानड	आगर	—
11	171 / 24	303(2)बी.एन.एस.	कानड	आगर	—
12	235 / 24	115(2), 118(1), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस व एससी / एसटी एक्ट	कानड	आगर	—
13	42 / 26	115(2), 296, 351(3), 3(5)	कानड	आगर	—

		बीएनएस व अ.जा. / ज.जा.अ.नि. अधि.			

पुलिस थाना कानड जिला आगर–मालवा से अपराध क्रं. 136/2026 धारा–115(2), 119(1), 126(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त।

प्रतिवेदन की प्रति आवेदक अधिवक्ता को प्रदान की गई।

जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस प्रस्तुत किया जाना बताया है तथा समर्थन में वैभव भटनागर अधि. द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। शपथ पत्र अनुसार आवेदक की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही लंबित है, न ही निराकृत हुआ है।

आवेदन पत्र संक्षेप में इस आशय का है कि पुलिस थाना कानड द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एक असत्य अपराध क्रमांक 136/2026 धारा–115(2), 119(1), 126(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत पंजीबद्ध कर उसे गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया, तत्पश्चात न्यायालय द्वारा उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, तभी से अभियुक्त न्यायिक निरोध में है। उक्त प्रकरण में आवेदक/आरोपी को झूठा आलिप्त किया गया है। आवेदक/आरोपी नव युवक है, अधिक समय तक निरोध में रहने की दशा में आवेदक के जीवन पर गंभीर दुष्परिणाम होने की संभावना है। अपराध आजीवन कारावास एवं मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। प्रकरण के सह आरोपी ईश्वर एवं आनंद को इसी न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है एवं आवेदक का अपराध भी जमानत पर स्वतंत्र सह अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। आवेदक अपनी जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार व तत्पर है, न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने की दशा में वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। उक्त आधारों पर आवेदक/आरोपी को नियमित जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि दिनांक 17.07.2026 को फरियादी करणसिंह ने थाना आकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराया कि आज वह अपने गेहूं बेचने के लिए तुफानसिंह की

बोलेरो पीकअप में भरकर कानड आ रहे थे कि दिन के करीब ढाई बजे रास्ते में ईंट भट्टे के आगे खेडा रोड की पुलिया के पास पहुंचे कि उसकी गाडी के सामने कमल के साथ दो–तीन अन्य व्यक्ति और थे जिसमें से कमल अपनी पल्सर गाडी उसकी गेहूं की गाडी के सामने खडी कर दी व उनकी गाडी का रास्ता रोक दिया। कमलसिंह मोटरसाईकल से उतरकर गाडी के ड्राईवर तुफानसिंह के पास आया और तुफानसिंह को दो थप्पड मारे और कमलसिंह व उसके साथियों ने उन दोनों से कहा कि शराब पीने के लिए पैसे दो तभी तुम लोगों को कानड जाने देंगे। उसने कमलसिंह से कहा कि किस बात के पैसे मांग रहे हो तो कमलसिंह व उसके साथी मां बहन की गालियां देने लगे व कहा कि उनकी दादागिरी चलती है इसलिए पैसे देने पडेंगे। उन्होंने पैसे देने से मना किया तो कमलसिंह व उसके एक साथी ने तुफानसिंह को कालर पकडकर गाडी से नीचे उतार लिया और उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे। वह तुफानसिंह को बचाने गया तो कमलसिंह के दो अन्य साथियों ने उसे पकडकर उसके साथ थप्पड मुक्कों से मारपीट करने लगे। कमलसिंह ने अपने एक साथी का नाम लेकर कहा कि ईश्वर तुम करणसिंह को पकडा ईश्वर व उसके साथी ने उसके साथ भी थप्पड मुक्कों से मारपीट की जिससे उसे गाल व गर्दन पर चोट लगी। झूमाझटकी में उसकी पेंट की बांए तरफ की जेब में रखे 75 हजार रूपये वहीं गिर गए। फिर चारों जाते–जाते कहा कि अगर तुमने आईंदा पैसे देने से मना किया तो जान से खतम कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कानड में अपराध क्रमांक 136/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 119(1), 126(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

न्यायदृष्टांत **मनोहर बनाम म.प्र. राज्य 2007 (3) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 35** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि यदि किसी अभियुक्त को जमानत दी गई है और सह अभियुक्त का मामला समान है तो सह अभियुक्त को भी जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। समानता का सिद्धांत लागू करने के लिए न्यायालय को अभियुक्त से जुड़ी भूमिका, घटना और पीड़ित के संबंध में उनकी स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। इस प्रकरण में आरोपी कमल ने इस आधार पर भी जमानत दिए जाने का निवेदन किया है कि अन्य आरोपी आनंद व ईश्वर की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई है और समानता के आधार पर आरोपी कमल को भी जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया है, किंतु केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी ने यह स्पष्ट लेख कराया है कि आरोपी कमल ने ही अपनी पल्सर गाडी उनकी गाडी के सामने खडी कर रास्ता रोका और आरोपी कमल ने ही ड्राईवर तुफानसिंह को दो थप्पड मारे

और शराब पीने के लिए रूपये मांगे तथा कमलसिंह ने ही कानड में उनकी दादागिर चलती है इसलिए पैसा देना पडेंगे कहकर ड्राईवर को गाडी से नीचे उतारकर उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट किया और कमल ने बीच बचाव के दौरान फरियादी करण से भी मारपीट किया। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं केस डायरी के अवलोकन से ही प्रकट है कि आरोपी कमलसिंह ही प्रकरण का मुख्य आरोपी है जिसके द्वारा फरियादी की गाडी को रोककर मारपीट की गई। इसके अतिरिक्त आरोपी कमलसिंह पर थाना कानड एवं माकडोन जिला उज्जैन में 13 अपराध पंजीबद्ध है जिसमें से इसी प्रकृति के अपराध के आरोप पूर्व से आरोपी पर थे। ऐसी परिस्थिति में आरोपी कमल को समानता का लाभ भी नहीं दिया जा सकता।

फलतः उपरोक्त परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/आरोपी कमल पिता मेहरबान की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. बाद विचार **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी भी वापस की जाएं। आदेश की एक प्रति आरोपी अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान की जाएं।

आदेश सी.आई.एस. में अपलोड किया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख, नियमानुसार अभिलेखागार में जमा किया जाये।

(मधुसूदन जंघेल)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
आगर–मालवा

MADHUSUDAN JANGHEL

Digitally signed by MADHUSUDAN JANGHEL